न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01/134/2018 जीसीएमएस सं0 2018/00154 दर्ज तिथिः– 27.06.2018

1. रामस्वरूप पुत्र लल्लूराम जाति ब्राह्मण निवासी भूडियावास तहसील जिला अलवर राज0 ....वादी

बनाम

1. तीजा पत्नी भौरेलाल
2. सीताराम पुत्र भौरेलाल
3. मन्नालाल पुत्र भौरेलाल
4. जगदीशप्रसाद पुत्र भौरेलाल
5. पूरणमल पुत्र भौरेलाल
6. सूरजी पुत्री भौरेलाल
7. सावत्री पुत्री भौरेलाल
8. प्रेम पुत्री भौरेलाल
9. पार्वती पुत्री भौरेलाल
10. गोरी पुत्री भौरेलाल
11. प्यारी पत्नी रिछपाल
12. छाजूराम पुत्र रिछपाल
13. सुगनचन्द पुत्र रिछपाल
14. महावीर पुत्र रिछपाल
15. हीरालाल पुत्र रिछपाल
16. मीरा पुत्री रिछपाल
17. कमला पत्नी धूडाराम
18. नत्थूराम पुत्र धूडाराम
19. कैलाश पुत्र धूडाराम
20. कमलेश पुत्र धूडाराम
21. रोहिताश पुत्र धूडाराम
22. बबलू पुत्र धूडाराम
23. मूलचन्द पुत्र कजोडराम
24. हीरालाल पुत्र कालूराम
25. लक्ष्मीनारायण पुत्र कालूराम
26. सूरली पुत्री कालूराम
27. गुलाब पुत्री कालूराम
28. पांची पत्नी बिरदूराम
29. फत्ताराम पुत्र बिरदूराम
30. जगदीश पुत्र बिरदूराम
31. रमेशचन्द पुत्र बिरदूराम
32. कृपा पुत्री बिरदूराम
33. अनोखी पुत्री बिरदूराम
34. देवीसहाय पुत्र कन्हैयालाल
35. भगवती पत्नी भैहरू
36. रामनिवास पुत्र भैहरू
37. उगीन पुत्र भैहरू
38. बनवारी पुत्र भैहरू
39. गीता पुत्री भैहरू
40. कल्लो पुत्री भैहरू

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

समस्त बालिगान जातियान बागडा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.................असल प्रतिवादीगण

41. लैण्ड होल्डर तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
42. शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखाा थानागाजी जिला अलवर राज0

.................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता:– श्री देवीसहाय शर्मा।
प्रतिवादी अधि0:– श्री महेन्द्र शर्मा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:– 28.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा नंबर 106/0.37 है0, 107/0.78 है0, 134/0.49 है0, 135/0.49 है0 किता 4 रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर एवं हाल खसरा संख्या 136/2.44 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। संयुक्त आराजी हाल खसरा नंबर 106/0.37 है0, 107/0.78 है0, 134/0.49 है0, 135/0.49 है0 किता 4 रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर में वादी का 1/2 हिस्सा व हाल खसरा संख्या 136/2.44 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर में वादी का 191/193 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा (191/386 हिस्सा) मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त संयुक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 23 जरिये असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजीयात में मौका कब्जानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण जहाँ पर काबिज़ है उसी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के रास्ते का हक कायम करते हुए विधिक तकासमा किया जाये तो प्रतिवादीगण को कोई उज्र ऐतराज नहीं है। शेष प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामील असलातन–वकालतन अनुपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात/तकास्मा रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु अहकाम जारी किया गया। उक्त अहकाम की पालना में तहसीलदार थानागाजी द्वारा उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2021/1827 दिनांक 12.07.2021 द्वारा कुर्रेजात/तकास्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्राप्त कुर्रेजात/तकास्मा रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण की ओर से ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर उक्त रिपोर्ट बिना मौका देखे ही पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट निरस्त कर कुर्रेजात रिपोर्ट पुनः तलब किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद मनन बहस

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट बाबत स्वीकर कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/297 दिनांक 19.02.2025 द्वारा कुर्रेजात/तकास्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

4. दावा वादी पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस वादी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.02.2025 दावा डिक्री कर पृथक खाता कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.02.2025 पर सहमति जाहिर कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने प्रकरण में पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2069-2072 का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण आराजी खसरा नंबर 106/0.37 है0, 107/0.78 है0, 134/0.49 है0, 135/0.49 है0 किता 4 रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर एवं हाल खसरा संख्या 136/2.44 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त आराजीयात हाल खसरा नंबर 106/0.37 है0, 107/0.78 है0, 134/0.49 है0, 135/0.49 है0 किता 4 रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर में वादी का 1/2 हिस्सा व हाल खसरा संख्या 136/2.44 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर में वादी का 191/193 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा (191/386 हिस्सा) दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त संयुक्त आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः स्थाई निषेधाज्ञा के विश्लेषण में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जाः- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलनः- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षतिः- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना भी उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खसरा 106/0.37 है0, 107/0.78 है0, 134/0.49 है0, 135/0.49 है0 किता 4 रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर एवं हाल खसरा संख्या 136/2.44 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.02.2025 मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	लगान
रामस्वरूप पुत्र लल्लूराम कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार हिस्सा पूर्ण	106 136/3 134 135/1	0.37 है0 0.89 है0 0.49 है0 0.47 है0	3.70 28.48 15.68 15.04
कुल किता 04		2.22 है0	62.90
तीजा पत्नी भौरेलाल (प्रतिवादी संख्या 01) हिस्सा 23/360 सीताराम पुत्र भौरेलाल, मन्नालाल पुत्र भौरेलाल, जगदीशप्रसाद पुत्र भौरेलाल, पूरणमल पुत्र भौरेलाल, सूरजी पुत्री भौरेलाल, सावत्री पुत्री भौरेलाल, प्रेम पुत्री भौरेलाल, पार्वती पुत्री भौरेलाल, गोरी पुत्री भौरेलाल (प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 10) हिस्सा 3/20, प्यारी पत्नी रिछपाल, छाजूराम पुत्र रिछपाल, सुगनचन्द पुत्र रिछपाल, महावीर पुत्र रिछपाल, हीरालाल पुत्र रिछपाल, मीरा पुत्री रिछपाल (प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 16) हिस्सा 1/6 राहिन SBI शाखा थानागाजी, कमला पत्नी धूडाराम (प्रतिवादी संख्या 17) हिस्सा 1/12, नत्थूराम पुत्र धूडाराम, कैलाश पुत्र धूडाराम, कमलेश पुत्र धूडाराम, रोहिताश पुत्र धूडाराम, बबलू पुत्र धूडाराम (प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 22) हिस्सा 5/36, मूलचन्द पुत्र कजोडराम (प्रतिवादी संख्या 23) हिस्सा 1/3 कौम बागडा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	107 136/1	0.78 है0 1.44 है0	7.80 46.08
कुल किता 02		2.22 है0	53.88
नवीन प्रस्तावित खाता संख्या 02 के अनुसार दर हिस्सा 1/3, हीरालाल पुत्र कालूराम, लक्ष्मीनारायण पुत्र कालूराम, सूरली पुत्री कालूराम, गुलाब पुत्री कालूराम, पांची पत्नी बिरदूराम, फत्ताराम पुत्र बिरदूराम, जगदीश पुत्र बिरदूराम, रमेशचन्द पुत्र बिरदूराम, कृपा पुत्री बिरदूराम, अनोखी पुत्री बिरदूराम, देवीसहाय पुत्र कन्हैयालाल, भगवती पत्नी भैहरू, रामनिवास पुत्र भैहरू, उगीन पुत्र भैहरू, बनवारी पुत्र भैहरू, गीता पुत्री भैहरू, कल्लो पुत्री भैहरू (प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 40) हिस्सा 1/3, रामस्वरूप पुत्र लल्लूराम कौम ब्राह्मण (वादी संख्या 01) हिस्सा 1/3 सा0 देह खातेदार	136/4	0.03 है0	गै0 मु0 रास्ता
कुल किता 01		0.03 है0	

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

नवीन प्रस्तावित खाता संख्या 02 के अनुसार दर हिस्सा 1/2 वादी संख्या 01 का हिस्सा 1/2	136/2	0.08 है0	गै0 मु0 रास्ता
	135/2	0.02 है0	गै0 मु0 रास्ता
कुल किता 02		0.10 है0	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(पिंकी आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी जिला अलवर राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01/134/2018 जीसीएमएस सं0 2018/00154 दर्ज तिथिः– 22.06.2018

1. रामस्वरूप पुत्र लल्लूराम जाति ब्राह्मण निवासी भूडियावास तहसील जिला अलवर राज0

.................वादी

वनाम

1. तीजा पत्नी भौरेलाल
2. सीताराम पुत्र भौरेलाल
3. मन्नालाल पुत्र भौरेलाल
4. जगदीशप्रसाद पुत्र भौरेलाल
5. पूरणमल पुत्र भौरेलाल
6. सूरजी पुत्री भौरेलाल
7. सावत्री पुत्री भौरेलाल
8. प्रेम पुत्री भौरेलाल
9. पार्वती पुत्री भौरेलाल
10. गोरी पुत्री भौरेलाल
11. प्यारी पत्नी रिछपाल
12. छाजूराम पुत्र रिछपाल
13. सुगनचन्द पुत्र रिछपाल
14. महावीर पुत्र रिछपाल
15. हीरालाल पुत्र रिछपाल
16. मीरा पुत्री रिछपाल
17. कमला पत्नी धूडाराम
18. नत्थूराम पुत्र धूडाराम
19. कैलाश पुत्र धूडाराम
20. कमलेश पुत्र धूडाराम
21. रोहिताश पुत्र धूडाराम
22. ववलू पुत्र धूडाराम
23. मूलचन्द पुत्र कजोडराम
24. हीरालाल पुत्र कालूराम
25. लक्ष्मीनारायण पुत्र कालूराम
26. सूरली पुत्री कालूराम
27. गुलाव पुत्री कालूराम
28. पांची पत्नी विरदूराम
29. फत्ताराम पुत्र विरदूराम
30. जगदीश पुत्र विरदूराम
31. रमेशचन्द पुत्र विरदूराम
32. कृपा पुत्री विरदूराम
33. अनोखी पुत्री विरदूराम
34. देवीसहाय पुत्र कन्हैयालाल
35. भगवती पत्नी भैहरू
36. रामनिवास पुत्र भैहरू
37. उगीन पुत्र भैहरू
38. वनवारी पुत्र भैहरू
39. गीता पुत्री भैहरू
40. कल्लो पुत्री भैहरू

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

समस्त बालिगान जातियान बागडा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम भूडियावारा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.................असल प्रतिवादीगण

41. लैण्ड होल्डर तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
42. शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखाा थानागाजी जिला अलवर राज0

.................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता:– श्री देवीसहाय शर्मा।
प्रतिवादी अधि0:– श्री महेन्द्र शर्मा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बावत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खसरा 106/0.37 है0, 107/0.78 है0, 134/0.49 है0, 135/0.49 है0 किता 4 रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर एवं हाल खसरा संख्या 136/2.44 है0 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.02.2025 मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	लगान
रामस्वरूप पुत्र लल्लूराम कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार हिस्सा पूर्ण	106	0.37 है0	3.70
	136/3	0.89 है0	28.48
	134	0.49 है0	15.68
	135/1	0.47 है0	15.04
कुल किता 04		2.22 है0	62.90
तीजा पत्नी भौरेलाल (प्रतिवादी संख्या 01) हिस्सा 23/360 सीताराम पुत्र भौरेलाल, मन्नालाल पुत्र भौरेलाल, जगदीशप्रसाद पुत्र भौरेलाल, पूरणमल पुत्र भौरेलाल, सूरजी पुत्री भौरेलाल, सावत्री पुत्री भौरेलाल, प्रेम पुत्री भौरेलाल, पार्वती पुत्री भौरेलाल, गोरी पुत्री भौरेलाल (प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 10) हिस्सा 3/20; प्यारी पत्नी रिछपाल, छाजूराम पुत्र रिछपाल, सुगनचन्द पुत्र रिछपाल, महावीर पुत्र रिछपाल, हीरालाल पुत्र रिछपाल, मीरा पुत्री रिछपाल (प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 16) हिस्सा 1/6 राहिन SBI शाखा थानागाजी, कमला पत्नी धूडाराम (प्रतिवादी संख्या 17) हिस्सा 1/12, नत्थूराम पुत्र धूडाराम, कैलाश पुत्र धूडाराम, कमलेश पुत्र धूडाराम, रोहिताश पुत्र धूडाराम, बबलू पुत्र धूडाराम (प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 22) हिस्सा 5/36, मूलचन्द पुत्र कजोडराम (प्रतिवादी संख्या 23) हिस्सा 1/3 कौम बागडा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	107	0.78 है0	7.80
	136/1	1.44 है0	46.08
कुल किता 02		2.22 है0	53.88

उपखण्ड [illegible]कारी
थाना[illegible] अ[illegible], राज0

नवीन प्रस्तावित खाता संख्या 02 के अनुसार दर हिस्सा 1/3, हीरालाल पुत्र कालूराम, लक्ष्मीनारायण पुत्र कालूराम, सूरली पुत्री कालूराम, गुलाब पुत्री कालूराम, पांची पत्नी बिरदूराम, फत्ताराम पुत्र बिरदूराम, जगदीश पुत्र बिरदूराम, रमेशचन्द पुत्र बिरदूराम, कृपा पुत्री बिरदूराम, अनोखी पुत्री बिरदूराम, देवीसहाय पुत्र कन्हैयालाल, भगवती पत्नी भैहरू, रामनिवास पुत्र भैहरू, उगीन पुत्र भैहरू, बनवारी पुत्र भैहरू, गीता पुत्री भैहरू, कल्लो पुत्री भैहरू (प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 40) हिस्सा 1/3, रामस्वरूप पुत्र लल्लूराम कौम ब्राह्मण (वादी संख्या 01) हिस्सा 1/3 सा0 देह खातेदार	136/4	0.03 है0	गै0 मु0 रास्ता
कुल किता 01		0.03 है0	
नवीन प्रस्तावित खाता संख्या 02 के अनुसार दर हिस्सा 1/2 वादी संख्या 01 का हिस्सा 1/2	136/2	0.08 है0	गै0 मु0 रास्ता
	135/2	0.02 है0	गै0 मु0 रास्ता
कुल किता 02		0.10 है0	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

पर्चा डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 28.04.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पिंकी आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0